>

Title: Atrocities against the dalits in the country.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर, इस शून्य प्रहर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष जी, मुझे याद है कि नियम 193 के तहत पिछले लोक सभा सत्र में दलितों पर अत्याचार को लेकर इस सदन में बड़ी गंभीरता से चर्चा हुई थी, जिसमें पक्ष-प्रतिपक्ष के तमाम सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे थे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे भारतवर्ष में आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों पर और खासकर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार उनकी हत्याएं और उत्पीड़न की कार्रवाइयां बढ़ी हैं। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा कि पूरा सदन इसे गंभीरता के साथ संज्ञान में ले। इस विषय में मेरी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री पीएल पुनिया साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने भी कुछ क्षेत्रों का दौरा किया था, लेकिन जो आशा और उम्मीद इस सरकार से थी और माननीय पुनिया जी से थी, वह बिल्कुल नकारात्मक रही है। हम लोग जो जनता के बीच से चुनकर आते हैं उनकी एक संसदीय परम्परा और मर्यादा होती है और उन्हें कायम रखने के लिए हम लोग हमेशा कटिबद्ध रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं भी एक दलित परिवार से हूं, पासी जाति का हूं, अनुसूचित जाति का हूं और मेरे ही संसदीय क्षेत्र में, विधान सभा के सदस्य विनोद सरोज भी, जो सम्मानित विधान सभा के विधायक हैं उनका परिवार सभ्य है। उनके पिता जी भी तीन-तीन बार विधान सभा के सदस्य रहे हैं। जहां तक मेरे परिवार की बात है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मेरी चार पीढ़ी में कोई मुकदमा नहीं था।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में बोलिये तो अच्छा रहेगा, और लोग भी बोलने वाले हैं। ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): थाने में जाकर लूटपाट मचायी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार के अलावा किसी और की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष जी, जहां तक मेरे परिवार का संबंध है तो मेरे परिवार में ऐसी बात नहीं रही है। अभी पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने मनमानी करके चुनाव संपन्न कराया है, उससे लोकतंत्र की मर्यादाएं खत्म हुई हैं। इसी 18 दिसम्बर, 2010 तारीख को मेरे सम्मानित क्षेत्र के विधायक के ऊपर रात्रि में कातिलाना हमला हुआ और उसे धमकी दी गयी और जब वह कुंडा कोतवाली प्रतापगढ़ में प्रस्थान किये और उन्होंने फोन से हम लोगों को बुलाया तो आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह जी, सदस्य विधान सभा और विनोद सरोज जी (कुंडा कोतवाली) अक्षय प्रताप सिंह जी, एमएलसी और हम लोग थाने में पहुंचे तो बाहर से फायरिंग होती है, हम लोगों के ऊपर कातिलाना हमला होता है और यहीं तक नहीं, हमारे खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397, 307, 364,323, 325, 427. 504 और दंड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अधीन हमें प्रतापगढ़ की जेल में दो महीने तीन दिन रखा गया।...(व्यवधान)

...(व्यवधान) जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, कहा जाता है कि दलित की सरकार है। मैं दलित हूं और पासी जाति से संबंध रखता हूं। विनोद सरोज भी पासी जाति के हैं और विधायक हैं। उनके ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे लगाकर हाई कोर्ट से छूटना, आज पासी जाति के सम्मान की बात है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस विषय को गम्भीरता से ले। आप हमारे अभिभावक हैं, हम आपसे संरक्षण चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए, नहीं तो आगे रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं मांग करता हूं कि इस विषय को विशेषाधिकार समिति में जाना चाहिए। जिस प्रकार से बेगुनाह लोगों पर आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

श्री शरद यादव।